



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 28 फरवरी, 2017/9 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 फरवरी, 2017

**संख्या: यू0डी0-ए0(3)-13/2015.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि पथ विक्रेताओं को जीविका अर्जित करने के अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के सम्पूर्ण हित के दृष्टिगत यह समीचीन और आवश्यक है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन)

अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 के निबन्धनों के अनुसार एक स्कीम की विरचना की जाए ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम विरचित करते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2016 है।

(2) यह स्कीम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषा.**—(1) इस स्कीम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रमाण-पत्र” से अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी विशिष्ट व्यक्ति को कारबार चलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा, प्रदान किया जाने वाला प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है ;

(ग) “फीस” से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के बदले में पथ विक्रेता से प्रभारित की जाने वाली फीस अभिप्रेत है;

(घ) “प्ररूप” से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

**3. सर्वेक्षण संचालित करने की रीति.**—(1) सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय, जैसे कि, यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की नगर विक्रय समिति स्थल निरीक्षण द्वारा स्थल पर पथ विक्रेताओं की पहचान का सर्वेक्षण संचालित करने का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ अभिकरण नियोजित कर सर्वेक्षण का संचालन करवाएगी। सर्वेक्षण संचालित करने और विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एक वर्ष की अधिकतम समय अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी और पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् संचालित किए जाएंगे। सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाएंगी,—

(i) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) मैपिंग;

(ii) डिजीटलाईज्ड फोटो जनगणना ;

(iii) फोटो पहचान पत्रों सहित बायोमीट्रिक ;

(iv) सर्वेक्षण के लिए प्रातःकालीन समय प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक, दोपहर का समय 2:00 बजे अपरान्ह से 5:00 बजे अपरान्ह तक और सांयकालीन समय 6:00 बजे अपरान्ह से 9:00 बजे अपरान्ह तक ; और

(v) पथ विक्रय जोनों/क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की जागरूकता के लिए बाजार में इस निमित्त गठित दल द्वारा शिविर लगाकर।

(2) शहरी स्थानीय निकाय, पथ विक्रेताओं के स्थल पर सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करवाएगी। नोटिस के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा,—

- (क) कैम्पस, बाजार/क्षेत्रवार, सर्वेक्षण की तारीख और समय;
- (ख) शहरी स्थानीय निकायों से क्षेत्र का नोडल अधिकारी ; और
- (ग) तारीख और समय, जब तक पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों को ग्रहण किया जाएगा।

4. **प्रमाण-पत्र जारी करना.**—सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए पथ विक्रेता को नगर विक्रय समिति द्वारा सर्वेक्षण की तारीख से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप-1 में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

5. **प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्तें.**—उन व्यक्तियों, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान जो पथ विक्रय करना चाहते हैं, सहित पथ विक्रेताओं को निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन, विक्रय करने का प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा,—

- (i) पथ विक्रय करने के सिवाय उसके पास अन्य कोई जीविका का साधन नहीं है;
- (ii) उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान पर कोई वैसा ही विक्रय स्थल अधियोग में नहीं होना चाहिए ;
- (iii) वह स्वयं या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के माध्यम से विक्रय करेगा ;
- (iv) उसने सर्वेक्षण संचालित करते समय या आवेदन के समय चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;
- (v) विक्रय प्रमाण-पत्र किसी भी रीति में अन्य व्यक्ति को अन्तरित/पट्टान्तरित/भाड़े पर या विक्रीत नहीं किया जाएगा। इस प्रभाव का वचनबंध पथ विक्रेता द्वारा प्ररूप-2 में नगर विक्रय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ;
- (vi) विक्रय प्रमाण-पत्र पर विक्रय कार्यकलाप करने वाले व्यक्ति का फोटोग्राफ होगा और यदि विक्रय करने के स्थल पर विक्रय में शामिल उसका/उसकी पति या पत्नी या उसका आश्रित है तो उस दशा में उक्त व्यक्ति को फोटोग्राफ में सम्मिलित किया जाएगा ;
- (vii) नए पथ विक्रेता, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान पथ विक्रय करना चाहते हैं, यथास्थिति, नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के माध्यम से विक्रय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेंगे; और

(viii) यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत द्वारा नए स्थलों की पहचान करना, नए विक्रेताओं से आवेदन स्वीकार करने के साथ-साथ नए आवेदकों को आबंटन एक बार की प्रक्रिया नहीं है अपितु यह एक सतत् प्रक्रिया होगी।

6. **पहचान पत्र जारी करने का प्ररूप और रीति.**—सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण, प्ररूप-3 में पहचान पत्र जारी करेगा।

7. **विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानदण्ड.**—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों, बेराजगार, शिक्षित युवा, विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, महिला प्रधान गृहस्थी, महिला उद्यमकर्ताओं के स्वयं सहायता समूहों, अल्पसंख्यकों आदि के

लिए विक्रय स्थान आबंटित करते समय प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण/नगर विक्रय समिति निम्नलिखित क्रम में अधिमान दिया जाएगा :-

|        |   |   |     |
|--------|---|---|-----|
| (i)    | अनुसूचित जाति                           | — | 5 % |
| (ii)   | अनुसूचित जनजाति                         | — | 2 % |
| (iii)  | अन्य पिछड़ा वर्ग                        | — | 3 % |
| (iv)   | बेरोजगार/शिक्षित युवा                   | — | 5 % |
| (v)    | विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक           | — | 2 % |
| (vi)   | एकल महिला/महिला प्रधान गृहस्थी          | — | 2 % |
| (vii)  | महिला उद्यमकर्ताओं के स्वयं सहायता समूह | — | 3 % |
| (viii) | अल्पसंख्यक                              | — | 2 % |

**टिप्पणः**—आरक्षित प्रवर्गों को विक्रय स्थल आबंटित करने की दशा में एक कुटुम्ब को हिमाचल प्रदेश राज्य में केवल एक ही विक्रय स्थल आबंटित किया जाएगा।

**8. विक्रय के लिए फीस.**—विक्रय फीस, पथ विक्रेताओं के प्रवर्ग और बाजार की अवस्थिति के अनुसार प्रभार्य होगी। सामान्य प्रवर्ग के स्थायी विक्रेता के लिए न्यूनतम फीस केवल 500/—रूपए (पांच सौ रूपए) और अधिकतम 1200/—रूपए (एक हजार दो सौ रूपए) प्रति मास होगी और आरक्षित प्रवर्ग के लिए इसे 400/—रूपए (चार सौ रूपए) से 1000/—रूपए (एक हजार रूपए) के बीच प्रति मास प्रभारित किया जाएगा। सामान्य प्रवर्ग के अस्थायी विक्रेता के लिए न्यूनतम फीस केवल 300/—रूपए (तीन सौ रूपए) और अधिकतम 900/—रूपए (नौ सौ रूपए) प्रति मास होगी और आरक्षित प्रवर्गों के लिए इसे 200/—रूपए (दो सौ रूपए) से 800/—रूपए (आठ सौ रूपए) के बीच प्रति मास प्रभारित किया जाएगा। अन्य प्रवर्ग के विक्रेताओं, जैसे साप्ताहिक, काल सहभाजन आदि के लिए न्यूनतम फीस केवल 100/—रूपए (एक सौ रूपए) और अधिकतम केवल 600/—रूपए (छह सौ रूपए) होगी।

**9. आवश्यक प्रभारों का संदाय.**—विक्रय फीस, अनुरक्षण प्रभार, विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए फीस और नियत तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए शास्तियां और अन्य प्रभार, यथास्थिति, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्थानीय प्राधिकरण तथा नगर विक्रय समिति के पटलों (काउंटरज) के माध्यम से संगृहीत की जाएगी। प्रत्येक नगर विक्रय समिति का अपना एक बैंक खाता होगा। खाते की वार्षिक लेखा परीक्षा नगर विक्रय समिति द्वारा की जाएगी। नगर निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत पथ विक्रेताओं से फीस संग्रहण को सुकर बनाने के लिए (बैंको के साथ सहभागिता से) नए तरीके इजाद करने के प्रयास करेगा/करेगी :

परन्तु विक्रय फीस के सिवाय अन्य प्रभार नगर विक्रय समिति द्वारा समय-समय पर निश्चित किए जाएंगे।

**10. विक्रय प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि.**—विक्रय प्रमाण-पत्र, जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

**11. विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण.**—(1) विक्रय प्रमाण पत्र, पांच वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अपेक्षित फीस जमा (निक्षिप्त) करने के पश्चात् प्ररूप-4 में सामान्य प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जाएगा। नवीकरण फीस सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण या नगर विक्रय समिति द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएगी। जमा (निक्षिप्त) की गई फीस की रसीद से विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण सुनिश्चित होगा।

(2) नगर विक्रय समिति, उन व्यतिक्रमी पथ विक्रेताओं, जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने के लिए फीस जमा करने में असफल रहते हैं, की सूची प्रकाशित करेगी। नियत तारीख के पश्चात् उन पथ विक्रेताओं को, जो प्ररूप-5 में अपने विक्रय प्रमाण-पत्र को नवीकृत करने में

असफल रहते हैं, एक मास का नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस की अवधि के दौरान पथ विक्रेता, फीस के अतिरिक्त शास्ति के रूप में प्रतिदिन 20/-रुपए (बीस रुपए) के संदाय के लिए दायी होगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता, जो खण्ड (2) के अधीन प्रथम नोटिस की तामील के पश्चात् भी अपना विक्रय प्रमाण-पत्र नवीकृत नहीं करवाता है तो उसे नगर विक्रय समिति द्वारा प्ररूप-5 मे एक और नोटिस तामिल किया जाएगा कि क्यों न उसका प्रमाण-पत्र रद्द या निलम्बित कर दिया जाए।

**12. प्रमाण-पत्र का रद्दकरण.**—धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त यदि कोई पथ विक्रेता निम्नलिखित किसी शर्त का भंग करता है तो नगर विक्रय समिति को, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्रमाण-पत्र रद्द करने की शक्ति होगी :-

- (i) विक्रय अनुज्ञप्ति के अनुसार आबंटित बाजार से बाहर विक्रय करता है/बैठता है/फेरी लगाता है;
- (ii) विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता के लिए (न्यूनतम 14 वर्ष की) आयु का दुर्व्यपदेशन करता है ;
- (iii) विक्रय स्थान के आबंटन के मानदण्डों का उल्लंघन करता है। तथापि, आबंटित 5 x 7 वर्गफुट का अधिकतम क्षेत्र विक्रय के लिए आबंटित किया जाएगा ;
- (iv) अनधिकृत रूप से विक्रय स्थल को बढ़ाता है ;
- (v) किसी प्रकार की स्थायी संरचना का सन्निर्माण करता है ;
- (vi) विक्रय स्थल को किसी अन्य को पट्टे पर देता है/भाड़े पर देता है/बेच देता है ;
- (vii) विक्रय प्रमाण-पत्र को दिए गए अतिरिक्त समय के अवसान के पश्चात् भी नवीकरण कराने में असफल रहता है ;
- (viii) चौदह वर्ष की आयु से कम के किसी बाल श्रमिक (श्रमिकों) को नियोजित करता है ; और
- (ix) महिला विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है।

**13. स्थायी विक्रेता बाजार ओर अस्थायी विक्रेताओं से अन्यथा पथ विक्रेता बाजारों के प्रवर्ग निम्न प्रकार से हैं :-**

- (i) प्राकृतिक बाजार ;
- (ii) साप्ताहिक बाजार ;
- (iii) परम्परागत बाजार ;
- (iv) त्यौहारी बाजार ;
- (v) रात्रि बाजार ;
- (vi) फूड कोर्टस और
- (vii) समय अनुषंगी बाजार ।

**14. लोक प्रयोजन की दशा मे पथ विक्रेता को पुनःस्थापन (नए स्थान पर बसाना) करने की रीति.**—जब लोक प्रयोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर नगर विक्रय समिति के परामर्श से निम्नलिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत विनिश्चय किया जायेगा :-

- (i) नगर विक्रय समिति की सिफारिश/सहमति अनिवार्य होगी ;
- (ii) पथ विक्रेता को विक्रय के लिए उसी स्थान/क्षेत्र में व्यवस्थित किया जायेगा ;

(iii) सन्निर्माण/विकास के दौरान पथ विक्रेता (ओं) को नजदीक के स्थान पर अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया जा सकेगा ;

(iv) विकास संकर्म के पूर्ण हो जाने के पश्चात विस्थापित पथ विक्रेता(ओं) को विक्रय के लिए उसके/उनके मूल स्थान में स्थान दिया जा सकेगा ।

**15. पथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति.**—उस दशा में जहाँ लोक रूकावट कारित की गई है या पथ विक्रेताओं के लिए एक समान आदर्श विक्रय स्थल चिन्हित किये जाने हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में, पथ विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जाए गए स्थान को इस शर्त के अध्वधीन खाली करवाया जाएगा कि नगर विक्रय समिति मामले को कम से कम छह मास पूर्व समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखेगी ।

**16. पथ विक्रेता की बेदखली के लिए नोटिस दिए जाने की रीति.**—अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अधीन बेदखली आदेश जारी करने से पूर्व पथ विक्रेता या स्थल के कब्जाधारी को एक मास का नोटिस दिया जाएगा और यदि वह अज्ञात है या खोजा नहीं जा सका है तो नोटिस को या तो नगर विक्रय समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) पर लगाया जाएगा या प्ररूप-6 में विक्रय स्थल के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा ।

**17. पथ विक्रेता की वस्तुगत बेदखली की रीति.**—(1) एक मास की नोटिस अवधि के पूर्ण हो जाने पर पथ विक्रेता शास्ती से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दो सौ पचास रुपये तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जो अभिगृहित किये गए माल की कीमत से अधिक नहीं होगी ।

(2) यदि पथ विक्रेता नियत अवधि के भीतर कब्जा किये गए विक्रय स्थल को खाली करने में असफल रहता है तो स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई, यथास्थिति, व्यक्ति/अधिकारी, पथ विक्रेता/व्यक्ति को वस्तुतः बेदखल करने हेतु पुलिस सहायता ले सकेगा और यदि आवश्यक हो तो विक्रय स्थल/स्थान से विनश्वर/अनश्वर सहित समस्त माल को जब्त करेगा ।

**18. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा माल का अभिग्रहण.**—माल के अभिग्रहण के पश्चात स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी खाली कराए गए स्थल/स्थान पर उपलब्ध किन्ही दो साक्षियों की उपस्थिति में उस द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित माल की सूची प्ररूप-7 में तैयार करेगा ।

**19. पथ विक्रेताओं द्वारा अभिगृहित माल की पुनः प्राप्ति और उसके लिए प्रभार.**—(1) स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी द्वारा अभिगृहीत माल को अधिनियम और स्कीम के उपबन्धों के अधीन पथ विक्रेताओं को उसके लिखित आवेदन पर विनश्वर माल की दशा में उसी दिन, और अनश्वर माल की दशा में, दो कार्यशील दिनों के भीतर केवल ₹ 500/— (पाँच सौ रूपए) की फीस के संदाय पर तथा विहित समय सीमा के पश्चात अभीगृहीत माल को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल ₹ 100/— (सौ रूपए) प्रतिदिन के संदाय पर छोड़ दिया जाएगा ।

(2) यदि पथ विक्रेता अभिगृहीत माल को वापिस लेने का दावा नहीं करता है तो नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण का अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी तत्काल तद्वारा पथ विक्रेता को प्ररूप-8 में लिखित में नोटिस देगा और नोटिस में दी गई समय सीमा, जो नोटिस की तामील की तारीख से दो दिन से कम की नहीं हो सकेगी, के अवसान के पश्चात् ऐसे माल को बेच देगा या विनश्वर माल की दशा में, यदि उपयोग में लाने योग्य न हो, उसे नष्ट कर देगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति/अधिकारी द्वारा अभीगृहीत किसी माल को पथ विक्रेता को तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक वह ऐसे माल को हटाने या भण्डारण के लिए अनिवार्य प्रभारों को जमा करने के पश्चात उसका दावा नहीं करता और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे प्ररूप-9 में ऐसी वस्तुओं के ब्यौरे तैयार करने के पश्चात सार्वजनिक

नीलामी द्वारा या ऐसी अन्य रीति में बिक्रित कर दिया जाएगा। अनिवार्य प्रभार स्थानीय प्राधिकरण/नगर विक्रय समिति द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किये जायेंगे।

(4) अधिनियम और इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन बिक्रित माल को हटाए जाने और भण्डारण के लिए प्रभार, विक्रय के आगमों में से संदत किये जाएंगे और अतिशेष, यदि कोई है, को पथ विक्रेता/बिक्रित माल के स्वामी को, विक्रय की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किये गए दावे पर, संदत किया जाएगा, और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है तो इसे, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण या नगर विक्रय समिति की निधियों में जमा कर दिया जाएगा।

**20.** नगर विक्रय समिति के क्रियाकलापों की सामाजिक संपरीक्षा कार्यान्वित करने का प्ररूप और रीति.—

(1) नगर विक्रय समिति, अधिनियम या स्कीम के उपबन्धों के अनुपालन के लिए अपेक्षित इसकी गतिविधियों की सामाजिक संपरीक्षा क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए एक तीन सदस्यीय इकाई का गठन करेगी।

(2) सामाजिक संपरीक्षा इकाई एक स्वतन्त्र निकाय होगी और निम्नलिखित से गठित होगी,—

(i) सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रख्यात शिक्षाविद् ;

(ii) एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता ; और

(iii) एक सेवानिवृत्त प्रशासक।

(3) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सामाजिक संपरीक्षा इकाई को कार्यालय स्थान और उपस्करों सहित पर्याप्त सहायक अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द उपलब्ध करवाया जाएगा।

(4) सामाजिक संपरीक्षा तीन वर्षों में कम से कम एक बार करवाई जाएगा। सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने के लिए समय सारिणी कम से कम तीन मास पहले (अग्रिम में) विनिश्चित की जाएगी।

(5) नगर विक्रय समिति संपरीक्षा इकाई को, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के आरम्भ होने से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व सुसंगत सूचना के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी। ऐसे ब्यौरों में निम्नलिखित, सम्मिलित होगा,—

(i) पथ विक्रेताओं के लिए अधिनियम, नियम और स्कीम के कार्यान्वयन की प्रास्थिति ;

(ii) नगर विक्रय समिति की उन वर्षों में की गई बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख ;

(iii) समस्त रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं का अभिलेख ;

(iv) अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष की गई अपीलों का अभिलेख;

(v) अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष समस्त शिकायतों और विवादों का अभिलेख ;

(vi) उन वर्षों में की गई बेदखली, माल के अधिहरण (जब्ती) और पथ विक्रेताओं की पुनःस्थापन की कुल संख्या का अभिलेख ; और

(vii) पूर्ववर्ती की गई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्टें, यदि कोई हों, के अभिलेख।

**21. सामाजिक संपरीक्षा इकाई की बैठक और कार्य.—**(1) सामाजिक संपरीक्षा इकाई पथ विक्रेताओं के साथ अधिनियम, नियमों और स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर बैठकें आयोजित करेगी और सामूहिक विचार विमर्श पर बल देगी ।

(2) संपरीक्षा इकाई पथ विक्रेताओं के किसी विवादक पर या उनके समक्ष पेश आ रही समस्या की शिकायतों को लिखित में अभिलिखित करेगी ।

(3) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के समाप्त होने पर इकाई अपने निष्कर्ष को लिखित में अभिलिखित करेगी ।

(4) संपरीक्षा इकाई, नगर विक्रय समिति के कार्यालय में एक सामाजिक संपरीक्षा जनसाधारण बैठक का आयोजन करेगी । समिति के सदस्य और स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनीधि बैठक में भाग लेंगे । संपरीक्षा इकाई बैठक में इसके निष्कर्षों को पढ़ेगी । पथ विक्रेताओं को भी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और नगर विक्रय समिति, सामाजिक संपरीक्षा में चिन्हित प्रत्येक विवादक को प्रभावित पक्ष और जनसाधारण को इस बात का स्पष्टीकरण और व्याख्यान देकर सुलझाएगी की कतिपय करवाई क्यों की गई या क्यों नहीं की गई ।

(5) संपरीक्षा इकाई, सामाजिक संपरीक्षा जन साधारण बैठक का पर्याप्त अग्रिम सार्वजनिक नोटिस देगी ।

(6) स्थानीय प्राधिकरण अन्तर्गत, त्रुटियों या विचलन की दशा में सामाजिक संपरीक्षा इकाई के प्रत्येक निष्कर्ष पर उत्तरदायित्व नियत करेगा और तत्काल सुधारात्मक उपाय करेगा या अनुशासनात्मक करवाई करेगा । किसी विवाद की दशा में स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा प्रशासनिक जाँच की जा सकेगी और यथासम्भव अल्पमत समय के भीतर, किन्तु किसी भी दशा में एक मास के अपश्चात् नहीं, तदनुसार करवाई की जा सकेगी ।

(7) सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने की कानूनी अपेक्षा, लेखों की सामान्य संपरीक्षा कार्यान्वित करने की किसी स्वतंत्र पहल को वंचित नहीं करेगी ।

(8) इस प्रक्रिया में प्रस्तुत की गई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट अभिलेख का एक भाग होगी और नगर विक्रय समिति द्वारा प्रतिक्रियात्मक होगी । जहां कमियों पाई जाती है वहां इस स्कीम के अनुसार तत्काल करवाई की जाएगी । कृत करवाई रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगी ।

(9) सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करवाने का व्यय नगर विक्रय समिति की बजटीय व्यवस्था में से उपगत होगा ।

**22. प्राइवेट स्थान (स्थल) को प्रतिबन्ध मुक्त विक्रय जोन, प्रतिबन्धित-विक्रय जोन और अविक्रय जोन के रूप में पुनः नामित करने के लिए शर्तें.—**(1) इसे नगर विक्रय समिति द्वारा, वार्ड/क्षेत्र के पथ विक्रेताओं की कुल जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(2) यदि आवेदकों की संख्या विक्रय क्षेत्रों में उपलब्ध स्थलों की संख्या से अधिक हो जाती है तो नगर विक्रय समिति, बाकी बचे आवेदकों को आवसार्जित करने हेतु सम्बद्ध स्वामी की सहमति से निजी स्थानों को प्रतिबन्ध रहित विक्रय क्षेत्रों के रूप में पुनः पदनामित करने हेतु, अधिनियम और इस स्कीम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कदम उठा सकेगी ।

**23. जनस्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मानदण्ड.—**(1) स्थानीय प्राधिकरण पथ विक्रेताओं को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के आशय से अपनी अपशिष्ट सामग्री के निपटारे के लिए समुचित स्थान उपलब्ध करवाएगी ।



(2) पथ विक्रेता नगरपालिका या नगरपालिका की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली द्वारा नियत अपशिष्ट निपटान मानदण्डों के अनुसार अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए समुचित ढकी हुई कचरा पेटी (डस्ट-विनज) का उपयोग करेगा/करेंगे। पथ विक्रेता ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एस डब्लू एम) के लिए नगरपालिका द्वारा मानदण्डों के अनुसार नियत स्वच्छता प्रभारों का संदाय भी करेगा/करेंगे।

(3) स्थानीय प्राधिकरण, जहां कहीं सम्भव हो, पथ विक्रेताओं को विद्युत/पथ-प्रकाश (स्ट्रीट लाइटस) की प्रसुविधा के साथ-साथ स्वच्छ और ताजा पानी सुनिश्चित और उपलब्ध करवाएगी।

(4) स्थानीय प्राधिकरण जनस्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के आशय से पर्याप्त जल और विद्युत सहित शौचालय की व्यवस्था करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समुचित संख्या में अपशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए कचरा पेटियों (डस्ट-विनज) की व्यवस्था की जाएगी।

(6) नगर विक्रय समिति पथ विक्रेताओं के लिए सामूहिक बीमा स्कीम प्रारम्भ कर सकेगी।

**24. राज्य नोडल अधिकारी का पदनाम.—**(1) राज्य नोडल अधिकारी, शहरी विकास निदेशालय के अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) राज्य नोडल अधिकारी पथ विक्रेताओं की प्रास्थिति बनाए रखने के आशय से स्थानीय प्राधिकरण के साथ कम से कम एक अर्धवार्षिक बैठक करेगा।

**25. पथ विक्रेताओं के सम्बन्ध में नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण की रीति.—**(1) पथ विक्रेताओं के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा एक ऑन लाईन साफ्टवेयर विकसित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका प्राधिकरण ऑन-लाईन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं का डाटा दर्ज करेगा।

(3) विक्रय प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र को ऑन-लाईन बनाया जा सकेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकरण की वेबसाइट पर विक्रय जोनज और पथ विक्रेताओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

**26. काल सहभाजन (शेयरिंग) आधार पर विक्रय कार्यकलाप चलाए जाने की रीति.—**नगर विक्रय समिति, बाजार की आवश्यकताओं और पथ विक्रेताओं के स्थलों पर निर्भर रहते हुए काल सहभाजन आधार पर विक्रय कार्यकलापों का अवधारण करेगी। किसी महिला विक्रेता से काल सहभाजन विक्रय कार्यकलापों का आबंटन करते समय विभेद नहीं किया जाएगा।

**27. निर्बन्धन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बन्धित विक्रय जोनों और अविक्रय जोनों के रूप में विक्रय जोनों का अवधारण.—**(1) नगर विक्रय समिति विशिष्ट गली या बाजार के अनुसार विक्रय स्थल के आबंटन का विनिश्चय करेगी। नगर विक्रय समितियां, अपने-अपने शहर/नगर के फेरी वालों/पथ विक्रेताओं के लिए योजनाओं को हितकर और पर्याप्त बनाने हेतु शहरों/नगरों में निर्बन्धन, अर्थात् निर्बन्धन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बन्धित विक्रय जोनों और अविक्रय जोनों के सीमांकन को सुकर बनाने के लिए पग उठाएगी।

(2) स्थानीय प्राधिकरण/नगर विक्रय समिति विक्रेताओं (स्थायी और अस्थायी) की संख्या के लिए ऐसे प्राकृतिक बाजारों की लोकेशनज में, ले आउट प्लानज में "पथ विक्रेता बाजार" के रूप में अभिहित, पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा/करेगी जो उनकी सामग्री/मॉग को पूरा कर सके। यदि ऐसी लोकेशन के

लिए प्रार्थियों (उम्मीदवारों) की संख्या उपलब्ध स्थान से अधिक है तो ऐसे आधिक्य (प्रार्थियों/उम्मीदवारों) को अधीन फीस या लाटरी द्वारा और खण्ड 8 के अधीन विहित रीति में विनियमित किया जाएगा और न कि वैकेिक अनुज्ञप्तियों के द्वारा।

(3) अस्थायी विक्रेताओं को अभिहित "पथ विक्रेताओं के बाजार" से बाहर भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जब तक कि उसे अविक्रय जोन अभिहित न किया गया हो। अविक्रय जोन (जोनज) अवस्थिति और अवसर के अनुसार अधिसूचित किए जा सकते हैं। शहरों/नगरों के विकास के साथ-साथ प्रत्येक नए क्षेत्र में, पथ विक्रेताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

**28. विक्रय जोनों की क्षमता और व्यापक जनगणना और सर्वेक्षण करने की रीति.**—अधिनियम की धारा 3 के अधीन, वार्ड/जोन के पथ विक्रेताओं की संख्या का अढ़ाई प्रतिशत धारण क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाएगा। किसी विक्रय जोन की धारण क्षमता विक्रय जोन के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित विक्रय स्थल के अनुसार होगी।

**29. पुनःस्थापन (नए स्थान पर बसाना) के मानदण्ड.**—पुनःस्थापन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड होंगे:—

- (i) जहां तक सम्भव हो पुनःस्थापन से बचना चाहिए जब तक कि प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट और अत्यावश्यक अपेक्षा न हो ;
- (i) परिसम्पत्तियों की किसी भी प्रकार की हानि से बचना होगा और हानि की दशा में इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ;
- (iii) प्रभावित विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को परियोजना और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन में शामिल करना होगा ;
- (iv) नगर विक्रय समिति बाजार के प्रतिनिधियों को बातचीत में शामिल करेगी ;
- (v) पुनर्व्यवस्थापन परियोजना के कार्यान्वयन के अधीन परस्पर स्वीकार्य स्थल के लिए विचार किया जाना चाहिए ;
- (vi) प्रभावित विक्रेताओं को उनकी जीविका और जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए वस्तुतः कम से कम बेदखली से पूर्व के स्तर पर लाने के लिए पुनःस्थापित किया जाएगा ।
- (vii) नई अवसंरचना विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित जीविका के अवसर से पात्र विस्थापित विक्रेता समायोजित किए जाएंगे;
- (viii) भूमि में हक या अन्य हित का कोई अन्तरण, ऐसी भूमि पर पथ विक्रेताओं की जीविका को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किए गए किसी अन्तरण के परिणामस्वरूप कोई पुनःस्थापन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ix) राज्य तन्त्र, बलपूर्वक की गई बेदखली की प्रक्रियाओं की जांच और नियन्त्रण के लिए व्यापक उपाय करेगा ; और
- (x) उन प्राकृतिक बाजारों को परम्परागत बाजार घोषित किया जाएगा जहां पर पथ विक्रेताओं ने पचास से अधिक वर्षों से कारबार संचालित कर लिया है, और ऐसे बाजारों में पथ विक्रेताओं को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण ऐसे बाजारों की सूची तैयार कर सकेगा और उन्हें "परम्परागत बाजार" घोषित करेगा। नगरपालिका निकाय, पर्यटन विभाग के सहयोग से ऐसे बाजारों को "पर्यटन बाजारों" के रूप में बढ़ावा देंगे।

**प्ररूप-1**

(खण्ड 4 देखें)

**पथ विक्रेता का प्रमाण-पत्र**

विक्रेता का उसके/  
उसकी पति या पत्नी  
या आश्रित बालक के  
साथ फोटोग्राफ

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

राज्य का नाम .....

नगरपालिका का नाम.....

विक्रय जोन का नाम.....

विक्रय स्थल का नाम.....

विक्रय का प्रवर्ग (चाहे अस्थायी/स्थायी/प्राकृतिक/साप्ताहिक आदि हो ).....

.....

विक्रेता के साथ विक्रय करने में यदि उसका/उसकी पति या पत्नी या उसका आश्रित बालक अन्तर्वलित है तो उसका नाम.....

व्यक्ति (व्यक्तियों ) की आयु और लिंग जिसका/जिनका फोटो है, यहां चिपकाएं.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... जो आयु....., आवासीय पता.....  
....., प्रवर्ग ....., का पति या पिता है  
यथा ..... (नगरपालिका का नाम) का रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता है जैसा खण्ड 6 के अधीन  
उपबन्धित है।

(हस्ताक्षर)

जारी करने की तारीख:.....

.....तक विधिमान्य।

**टिप्पण :-** विक्रेता प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाएगा।

**प्ररूप-2**

(खण्ड 5 (अ) देखें)

**पथ विक्रेता द्वारा वचनबंध-पत्र के लिए आरूप**

मैं , ..... पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री ..... नगर विक्रय  
समिति..... का रजिस्ट्रीकरण/ विक्रय प्रमाण-पत्र, संख्या:....., धारक एतद्द्वारा

घोषणा करता हूँ कि मुझे प्रदत्त विक्रय प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर, नहीं दिया जाएगा, भाड़े पर नहीं दिया जाएगा या विक्रीत नहीं किया जाएगा।

मैं, यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी अन्य कारबार में नहीं लगा हूँ। न ही किसी अन्य विक्रय स्थल से विक्रय कर रहा हूँ। और न ही किसी संगठन के साथ नियोजित हूँ।

विक्रेता का नाम और हस्ताक्षर .....

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण-पत्र संख्या: .....

तारीख:

स्थान:

(विक्रेता के हस्ताक्षर)

प्ररूप-3

(खण्ड 6 देखें)

पहचान पत्र

| नगरपालिका का नाम                       |   |
|--|---|
| विशिष्ट<br>रजिस्ट्रीकरण<br>संख्या..... | पिता/ पति का नाम .....  |
| विक्रेता की फोटो<br>चिपकाएं            | विक्रय का प्रवर्ग.....  |
|  | नगरपालिका वार्ड/विक्रय जोन.....                                   |
|  | विक्रय स्थल का, पता/अवस्थिति.....                                 |
|  | आवासीय पता.....   |
|  | पुलिस थाना.....   |
| नाम.....                               | हस्ताक्षर.....  |
| आयु.....                               |   |
| लिंग.....                              |   |
| दूरभाष नम्बर .....                     |   |
| जारी करने की<br>तारीख.....             | सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय का आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव ..... |

प्ररूप-4

(खण्ड 11 (1) देखें)

पथ विक्रता प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन  
(इस प्ररूप को स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना है)

आवदेक का नाम.....

(उपनाम पहले)

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

आवासीय पता.....

डाक पता.....

मैं निम्नानुसार, अपने पथ विक्रेता प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ:

(1) अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र—

.....  
.....

(2) माल की निम्नलिखित श्रेणी का व्यापार कर रहा/रही हूँ.....

.....  
.....

तारीख:.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु  
तारीख, जिसको आवेदन प्राप्त किया गया.....

आवेदन के अनुमोदन/अस्वीकार करने की तारीख.....

अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

-----  
**प्ररूप-5**

(खण्ड 11 (2) और (3) देखें)

**पथ विक्रेता के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए नोटिस**

विक्रेता का नाम .....

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या: .....

विक्रय स्थल की अवस्थिति .....

आवासीय पता .....

पहले जारी किए गए नोटिस की .....

तारीख

पत्राचार हेतु पता: .....

नवीकरण न कराने के कारण .....

तारीख

अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

**महत्वपूर्ण अनुदेश:**

- (1) पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु एक मास के नोटिस की तामील करवाई जाएगी।
- (2) एक मास का नोटिस देने के पश्चात् यदि वह विक्रय प्रमाण-पत्र नवीकृत करने में असफल रहता है तो उसे नगर विक्रय समिति द्वारा एक और नोटिस तामील किया जाएगा कि क्यों न उसका प्रमाण-पत्र रद्द या निलम्बित कर दिया जाए।

**प्ररूप-6**

(खण्ड 16 देखें)

**पथ विक्रेता की बेदखली का नोटिस**

विक्रेता का नाम .....  
(उपनाम पहले)

पिता का नाम .....

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या: .....

विक्रय स्थल की अवस्थिति .....

आवासीय पता .....

डाक पता .....

बेदखली के कारण .....

तारीख

अधिकारी के, मुहर सहित, हस्ताक्षर।

**महत्वपूर्ण अनुदेश:**

- (1) पथ विक्रेता या स्थल के अधिभोगी को एक मास के नोटिस की तामील करवाई जाएगी।
- (2) यदि वह अज्ञात व्यक्ति है तो नोटिस को नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) एक मास के नोटिस की तामील करने के पश्चात् भी यदि वह विक्रय स्थल को खाली करने में असफल रहता है तो वह प्रतिदिन के लिए दो सौ पचास रूपए तक की शास्ति से दण्डनीय होगा।
- (4) जहां नोटिस और जुर्माना अधिरोपित करने पर भी ऐसा अननुपालन जारी रहता है तो, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या प्राधिकृत अधिकारी पथ विक्रेता को हटाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा।

## प्ररूप-7

(खण्ड 18 देखें)

## अभिगृहीत (जब्त) माल की सूची

1. व्यक्ति का नाम और पता जिससे माल अभिगृहीत किया गया है.....  
.....
2. विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या .....
3. तारीख और समय सहित अभिग्रहण का स्थान .....
4. अभिगृहीत माल के ब्यौरे .....
- (क) प्रत्येक माल का विवरण.....
5. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसकी अभिरक्षा में अभिगृहीत सम्पत्ति (माल) रखी गई है.....  
.....
6. अभिरक्षक के हस्ताक्षर .....
7. अभिगृहीत माल की लगभग कीमत .....
8. टिप्पणियां.....  
.....
9. हस्ताक्षर सहित साक्षियों के नाम और उनका पता:
  - (1) .....
  - (2) .....

तारीख :

माल अभिगृहीत करने वाले  
अधिकारी/कर्मचारी के पूरे नाम सहित  
हस्ताक्षर  
पदनाम और पता

## प्ररूप-8

(खण्ड 19 (2) देखें)

## अभिगृहीत (जब्त) माल की पुनः प्राप्ति के लिए नोटिस

1. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे माल अभिगृहीत किया गया है.....  
.....
2. अभिगृहीत माल के लिए दूसरे दावेदार का नाम और पता.....  
.....

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसकी अभिरक्षा में अभिगृहीत सम्पत्ति रखी गई है .....
4. तारीख और समय सहित अभिग्रहण का स्थान .....
5. अभिगृहीत माल के ब्यौरे.....
6. अभिगृहीत माल की लगभग कीमत .....
7. टिप्पणियां.....

तारीख:

माल अभिगृहीत करने वाले  
अधिकारी/कर्मचारी के पूरे नाम सहित  
हस्ताक्षर  
पदनाम और पता

प्ररूप-9

(खण्ड 19 (3) देखें)

नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं का ब्यौरा

1. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे वस्तुएं अभिगृहीत की गई हैं.....
2. अभिरक्षक का नाम.....
3. नीलामी की तारीख और स्थान.....
4. वस्तुओं/माल के ब्यौरे.....
5. लगभग कीमत .....
6. नीलामी की रकम.....
7. वस्तुओं/माल के अभिग्रहण के विरुद्ध समायोजित व्यय की रकम.....
8. प्रतिदेय रकम.....
9. साक्षी: .....
- 1.....
- 2.....

अधिकारी के, मुहर सहित,  
हस्ताक्षर  
पदनाम ओर पता

आदेश द्वारा,  
मनीषा नंदा,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।